

प्रेस विज्ञप्तिथाना – अहरौलाकिशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 21.04.2024 को वादिनी मुकदमा थाना अहरौला जिला आजमगढ़ ने थाना अहरौला पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 20.04.2024 को वादिनी की भतीजी थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर उम्र 15 वर्ष हाई स्कूल का परिणाम घोषित होने के उपरान्त ग्राम लेदौरा से बिना बताये कही चली गयी जो अभी तक वापस नहीं आयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 165/24 धारा 363 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में सुनील कुमार पुत्र जिलाजीत उम्र 30 वर्ष निवासी लेदौरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 02.05.2024 को उ0नि0 विजयी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र जिलाजीत उम्र 30 वर्ष निवासी लेदौरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को लंगड़गंज चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 165/24 धारा 363/366/376(2)(N)/506 भादवि व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना अहरौला आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

1. सुनील कुमार पुत्र जिलाजीत उम्र 30 वर्ष निवासी लेदौरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 विजयी, हे0का0 राजेश कुमार यादव व हे0का0 सतीश कुमार गौड़ थाना अहरौला आजमगढ़।

थाना सरायमीरनशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 19.04.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि दिनांक 17.04.2024 की रात्रि में वादी की पत्नी घर से बिना बताये कही चली गयी है। वादी को शक था कि अभियुक्त 1. प्रेमी सौरभ उपाध्याय पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम बिजौली थाना बरदह जनपद आजमगढ़, 2. उत्तम पाठक पुत्र देवदत्त पाठक निवासी ईरनी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ वादी की पत्नी को भगा ले गये है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 199/24 धारा 498/507 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➡ दौरान विवेचना प्रकाश में आया कि अभियुक्त 1. सौरभ उपाध्याय पुत्र गोबर्धन उपाध्याय ग्राम बिजौली थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ व 2. उत्तम पाठक पुत्र देवदत्त पाठक साकिन ईरनी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ने मिलकर वादिनी की पत्नी को नशीला पदार्थ खिलाकर ले गये तथा उसके साथ दुष्कर्म किये।

➡ मुकदमा उपरोक्त में धारा 376/328/506/34 भादवि0 की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 02.05.2024 को उ0नि0 राजकुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त उत्तम पाठक पुत्र देवदत्त पाठक साकिन ईरनी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को छाऊ मोड़ (संजरपुर) से समय करीब 06.05 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- उत्तम पाठक पुत्र देवदत्त पाठक साकिन ईरनी थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 199/24 धारा 498/376/328/506/34 भादवि थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 राजकुमार यादव, हे0का0 जनार्दन उपाध्याय, हे0का0 संजय कुमार थाना सरायमीर आजमगढ़।

**थाना कन्धरापुर**  
**किशोरी को भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार**

**पूर्व की घटना-**

दिनांक 13.04.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि वादी की बहन को वादी का मकान मालिक बहला फुसलाकर भगा ले गया है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 102/24 धारा 366 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➡ दौरान विवेचना अपहृता/पीडिता की बरामदगी व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 376/342/323/504/506 भादवि व 3(1)द/3(1) ध व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट की बढोत्तरी गयी।

**गिरफ्तारी का विवरण-**

आज दिनांक 02.05.2024 को प्र0नि0 सुदेश कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त वीरबहादुर सिंह पुत्र राजकुमार सिंह निवासी ग्राम देवखरी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 37 वर्ष को सेहदा पुल (पुर्वांचल एक्सप्रेसवे) से समय करीब 10.05 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1- वीरबहादुर सिंह पुत्र राजकुमार सिंह निवासी ग्राम देवखरी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 37 वर्ष।

**पंजीकृत अभियोग-**

1- मु0अ0सं0 102/2024 धारा 366/376/342/323/504/506 भादवि व 3(1)द/3(1) ध व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट थाना कन्धरापुर आजमगढ़।

**आपराधिक इतिहास-** मुकदमा उपरोक्त

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1- प्र0नि0 सुदेश कुमार सिंह, का0 विकास उमाशंकर कन्नौजिया, का0 हे0का0 भानू यादव, म0आ0 रागिनी पाठक थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

**थाना रौनापार**

**छेड़खानी कर जान से मारने की धमकी देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार**

**पूर्व की घटना-**

दिनांक 28.04.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 27.04.2024 की रात्रि में अभियुक्त सूरज पुत्र कैलाश साकिन सहबदिया सुल्तानपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ने वादिनी के साथ छेड़खानी किया तथा वादिनी द्वारा विरोध करने पर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 171/2024 धारा 354ख/504/506 भा.द.वि. पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण-**

आज दिनांक 02.05.2024 को म0उ0नि0 पूनम विश्वकर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सूरज पुत्र कैलाश साकिन सहबदिया सुल्तानपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष को बाजार गोसाईं तिराहे से समय करीब 08:10 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग-**

1- मु0अ0सं0 171/2024 धारा 376/452/506 भा.द.वि. थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1- सूरज पुत्र कैलाश साकिन सहबदिया सुल्तानपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष।

**आपराधिक इतिहास-** मुकदमा उपरोक्त

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1- म0उ0नि0 पूनम विश्वकर्मा, का0 रवि शर्मा, का0 मन्टू यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

**थाना- कप्तानगंज**  
**किशोरी को अगवा करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार**

**पूर्व की घटना-**

दिनांक 23.04.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि दिनांक- 18.04.2023 को शादी समारोह से वादी की लडकी को अभियुक्त 1.रूपनरायन यादव पुत्र उदई यादव ग्राम- महुवार थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ बहला फुसला कर भगा ले गया जिसमें 2.रामवृक्ष यादव पुत्र पलट यादव, 3. सचिन यादव पुत्र रामवृक्ष यादव, 4. सुशीला देवी पत्नी रामवृक्ष यादव का भी सहयोग है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 122/24 धारा- 363/366/120B भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➔ दौरान विवेचना पीड़िता/ अपहृता को दिनांक 26.04.2024 को बरामद किया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण-**

आज दिनांक 02.05.2024 को उ0नि0 वंशराज सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रूप नरायन यादव उर्फ रोहित पुत्र उदयी यादव निवासी ग्राम महुआर थाना तहबरपुर आजमगढ़ को ग्राम गौरा पुलिया से समय करीब 07:50 बजे गिरफ्तार किया गया।

**पंजीकृत अभियोग-**

1-मु0अ0सं0- 122/24 धारा- 363/366/120B भादवि0 थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1- रूप नरायन यादव उर्फ रोहित पुत्र उदयी यादव निवासी ग्राम महुआर थाना तहबरपुर आजमगढ़।

**आपराधिक इतिहास-** मुकदमा उपरोक्त

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-**

1-उ0नि0 वंशराज सिंह, का0 अखिलेश कुमार यादव थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

**थाना गम्भीरपुर**  
**09 वारंटी गिरफ्तार**

➔दिनांक 02.05.2024 को थानाध्यक्ष बसन्तलाल मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्तगण/वारंटी का मु.नंबर 5557/24 अ.सं.146/10 धारा 324 IPC स्टेट चन्द्रकान्त थाना गम्भीरपुर तारीख पेशी 4.5.24 न्यायालय JM कोर्ट नम्बर 26 आजमगढ़ से सम्बन्धित वारण्टी 1.चन्द्रकांत चौहान पुत्र रामनाथ चुहान निवासी ग्राम खराटी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को को समय 06.05 बजे उसके घर ग्राम खराँटी से गिरफ्तार किया गया ।

➔मुकदमा नंबर 5495/24 स्टेट कमलेश सरोज अपराध संख्या 16/22 धारा 323,504,506 IPC थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ तारीख पेशी 20.5.24 न्यायालय कोर्ट नम्बर 26 आजमगढ़ 2. विशाल पुत्र फिरतू निवासी मईखरगपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष 3. राजाराम पुत्र बसंता निवासी मईखरगपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ उम्र 65 वर्ष 4.देवेन्द्र उर्फ परमेन्द्र पुत्र गोकुल निवासी मईखरगपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष, 5.संतोष पुत्र राजाराम निवासी ग्राम मईखरगपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष को दिनांक 02.05.2024 को 06.20 बजे पर उ0नि0 राकेश चन्द्र त्रिपाठी मय हमराह हे0का0 सुशील यादव द्वारा उनके घर ग्राम मईखरगपुर से गिरफ्तार किया गया है।

➔मु.नंबर 449/24 स्टेट संतोष अपराध संख्या 69/23 धारा 323,325,504,506 IPC थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ तारीख पेशी 31.5.24 मा.JM न्यायालय कोर्ट नंबर 26 आजमगढ़ से सम्बन्धित वारण्टी 6.कमलेश पुत्र श्यामबली निवासी ग्राम अम्बरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 45 वर्ष 7. शैलेश पुत्र श्यामबली निवासी अम्बरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 8. नागेन्द्र पुत्र कमलेश निवासी ग्राम अम्बरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष 9. सुनीता पत्नी कमलेश निवासी अम्बरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 35 वर्ष को दिनांक 02.05.2024 को 07.30 बजे पर उनके घर अम्बरपुर से उ0नि0 ज्ञान प्रकाश यादव, उ0नि0 सिन्धीलाल सोनकर, हे0का0 जीता यादव, का0 धीरज त्रिपाठी, म0का0 सुषमा सरोज कि संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तों को मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है ।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

- 1.चन्द्रकांत चौहान पुत्र रामनाथ चुहान निवासी ग्राम खराटी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
- 2.विशाल पुत्र फिरतू निवासी मईखरगपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
3. राजाराम पुत्र बसंता निवासी मईखरगपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
- 4.देवेन्द्र उर्फ परमेन्द्र पुत्र गोकुल निवासी मईखरगपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
- 5.संतोष पुत्र राजाराम निवासी ग्राम मईखरगपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
- 6.कमलेश पुत्र श्यामबली निवासी ग्राम अम्बरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
7. शैलेश पुत्र श्यामबली निवासी अम्बरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
8. नागेन्द्र पुत्र कमलेश निवासी ग्राम अम्बरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
9. सुनीता पत्नी कमलेश निवासी अम्बरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़